



## सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष

### प्रलिस के लयः

[राषट्रपतऱ, सर्वोच्च न्यायालय, संवधऱन, संसद, मूल संरचना सधऱतऱ, अनुच्छेद 21, आपातकाल, जनहतऱ याचकऱ \(PIL\), कॉलेजयऱम परणालऱ, रटऱ याचकऱएँ, ई-कॉरट परयऱोजना, केंद्रीय सतरकता आयोग](#) |

### मेन्स के लयः

अपने गठन के बाद से लोकतंत्र को मज़बूत करने और वयक्तगऱत अधकऱरों को बढावा देने में सर्वोच्च न्यायालय कऱ भूमकऱ |

[सरोतः पी.आई.बी](#)

### चरचा में कयों?

हाल ही में [राषट्रपतऱ](#) ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) (सथापना - 26 जनवरी 1950) कऱ सथापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके नएध्वज और प्रतीक चहऱन का अनावरण कयऱ |

- ध्वज में [अशोक चकर](#), सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत के संवधऱन कऱ पुस्तक अंकतऱ है |
- इसके अलावा प्रधानमंत्रऱ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय कऱ 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में एक [स्मारक डाक टकऱट](#) भी जारऱ कयऱ |

### 75 वर्षों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय कऱ भूमकऱ से जुड़े मुखय तथय कयऱ हैं?

लोकतंत्र को मज़बूत करने में न्यायपालकऱ कऱ भूमकऱ: भारत में न्यायपालकऱ ने स्वतंत्रता के बाद से [लोकतंत्र](#) और [उदार मूलयों](#) कऱ रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमकऱ नभऱई है |

इसने [संवधऱन](#) के संरक्षक, हाशयऱ पर पड़े लोगों के अधकऱरों के रक्षक तथा [बहुसंख्यकवाद](#) वरऱधी शासन संस्था के रूप में कार्य कयऱ है |

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) का वकऱसः सर्वोच्च न्यायालय कऱ यात्रा और लोकतंत्र को मज़बूत करने तथा वयक्तगऱत स्वतंत्रता कऱ रक्षा में इसकऱ भूमकऱ को चार चरणों में वर्गीकृत कयऱ जा सकतऱ है |

[न्यायकऱ समीक्षा](#) पर धयऱनः स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभकऱ वर्षों में न्यायपालकऱ ने [रूढवादी दृषटकऱण](#) बनाए रखा तथा स्वयं को संवधऱन कऱ लखऱतऱ वयऱख्या तक ही सीमतऱ रखा |

इसने अपनी सीमाओं का अतकऱर्मण कयऱ बना वधऱयऱ कारयों कऱ जाँच करने के लयऱ [न्यायकऱ समीक्षा](#) का प्रयोग कयऱ |

[वैचारकऱ प्रभाव से बचाव](#): न्यायपालकऱ [समाजवाद](#) और सकारात्मक काररवाई जैसी सरकारी वचऱरधाराओं से प्रभावतऱ होने से बचतऱ है |

उदाहरण के लयऱ [कामेश्वर सहऱ मामले](#), 1952 में [ज़र्मीदारी](#) उनमूलन को अवैध घोषतऱ कयऱ गया, लेकनऱ संसद द्वारा कयऱ गए संवैधानकऱ संशोधनों को अमान्य नही कयऱ गया |

[वधऱयऱ सर्वोच्चता के प्रतऱसऱममानः](#) [1951](#) जैसे मामलों से पता चलतऱ है कऱ न्यायपालकऱ ने समानता के अधकऱर का उल्लंघन करते हुए शैक्षणकऱ संस्थानों में आरक्षण को खारजऱ कर दयऱ, लेकनऱ संवधऱन कऱ सकारात्मक वयऱख्या का पालन करते हुए उसने [संसद](#) के साथ टकराव से परहेज कयऱ |

[मौलकऱ अधकऱरों का वसऱतऱरः](#) [1967](#) ने मौलकऱ अधकऱरों कऱ अधकऱ वसऱतृत वयऱख्या कऱ ओर एक बदलाव को चहऱनतऱ कयऱ, जसऱने संसद कऱ वधऱयऱ शक्तऱ को चुनौतऱ दी और न्यायकऱ समीक्षा कऱ शक्तऱ पर पुनः ज़ोर दयऱ |

**गोलक नाथ मामले, 1967** में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

**संबंधान संशोधन पर ऐतहासिक नरिणय:** [1973](#) में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय ने 'मूल संरचना' सदिधांत को प्रसुत किया, जिसने संबधान में संशोधन करने की संसद की शक्त को सीमित कर दिया, जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

**न्यायिक स्वतंत्रता पर आपातकाल का प्रभाव:** राष्ट्रीय आपातकाल और तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर न्यायमूर्ति ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाने ने **ADM जबलपुर बनाम शविकांत शुक्ला, 1976** मामले में न्यायिक आत्मसमर्पण में प्रमुख योगदान दिया, जिसमें मौलिक अधिकारों के [अनुच्छेद 21](#) के तहत जीवन के अधिकार को नलिंबति करने के सरकार के कृत्य का समर्थन किया गया था।

इस नरिणय ने देश में **संबधानिक लोकतंत्र के लिये एक नया नमिन स्तर चहिनति किया**, साथ ही उच्च न्यायपालिका की संस्थागत कमजोरी को भी उजागर किया।

**आपातकाल के बाद सुधार:** आपातकाल के बाद न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। [1978](#) ने [अनुच्छेद 21](#) की व्याख्या को व्यापक बनाया तथा **जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार** के दायरे का वसितार किया।

**जनहति याचिका (PIL) का उदय:** [1979](#) जैसे मामलों के माध्यम से न्यायपालिका ने जनहतिषी व्यक्तियों को हाशिये पर पड़े समूहों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति देकर न्याय तक पहुँच का वसितार किया।

जनहति याचिकाएँ **न्यायिक सक्रयिता** का एक साधन बन गई, जो मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और शासन जैसे मुद्दों को हल करती हैं।

**कॉलेजियम प्रणाली:** न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये **कॉलेजियम सिस्टम** शुरू करके अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश की।

इस प्रणाली को बाद में **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014** द्वारा चुनौती दी गई, जिससे न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये रद्द कर दिया।

**उदार व्याख्या:** सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ में **जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिये अनुच्छेद 370 को हटाने** को बरकरार रखा है।

**न्यायिक सक्रयिता को बनाए रखना:** आलोचनाओं के बावजूद न्यायपालिका ने संबधानिक अधिकारों की रक्षा में अपनी भूमिका पर जोर देना जारी रखा है। उदाहरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने अपारदर्शी **चुनावी बाण्ड योजना** को अमान्य ठहराया।

वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय दंड संहिता की धारा 497** को रद्द कर दिया, जिसने व्यभचार को **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** करने वाला अपराध घोषित किया था।

**प्रथम चरण (1950-1967):** इसमें संबधानिक पाठ के प्रति अनुपालन और न्यायिक संयम को प्रतबिबिति किया गया।

**दूसरा चरण (1967-1976):** इसमें न्यायिक सक्रयिता और संसद के साथ टकराव प्रदर्शित हुआ।

**तीसरा चरण (1978-2014):** इसने न्यायिक सक्रयिता और **जनहति याचिका (PIL)** के वसितार को प्रदर्शित किया।

**चौथा चरण (2014-वर्तमान):** यह संबधान की उदार व्याख्या और संबधान को एक जीवत दस्तावेज के रूप में मानने पर केंद्रित था।

# न्यायालय में याचिकाएँ

सर्वोच्च न्यायालय की याचिका औपचारिक रूप से न्यायालय के आदेश का अनुरोध करने वाला एक कानूनी दस्तावेज़ है।

## अतिरिक्त सांविधानिक याचिकाएँ

- **समीक्षा याचिका:** सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है
- "पेटेंट ट्रुटि" को ठीक कर सकते हैं, न कि "असंगत आयात (inconsequential import) की छोटी गलतियों" को
- समीक्षा किसी भी तरह से छद्म अपील नहीं है।

**न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 137):** न्यायालय सरकार के किसी भी अधिनियम या आदेश की समीक्षा कर सकता है।

- यदि उसमें संविधान का उल्लंघन (ultra-vires) पाया जाता है, तो उसे अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (शून्य) घोषित माना जाएगा।

- **जनहित याचिका (PIL):** मानवाधिकारों, समानता या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिये कानून का उपयोग
- किसी कानून या अधिनियम में अपरिभाषित
- **उत्पत्ति:** मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई, 1976
- **जनहित याचिका के तहत कुछ मामले:**
  - बंधुआ मज़दूरी का मामला
  - उपेक्षित बच्चे
  - महिलाओं पर अत्याचार
  - पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी

- **उपचारात्मक याचिका:** अंतिम उपचार, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय खारिज की गई समीक्षा याचिका पर पुनर्विचार कर सकता है
- **उत्पत्ति:** रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला, 2002
- **उद्देश्य:**
  - घोर अन्याय को सुधारने हेतु
  - कानूनी प्रक्रियाओं के किसी भी दुरुपयोग को कम करना
- तुच्छ मुकदमेबाजी (Frivolous litigation) को रोकने के लिये केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जाता है

## सांविधानिक याचिकाएँ

- **मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131):**
  - सर्वोच्च न्यायालय के पास राज्यों के बीच या राज्यों तथा संघ के बीच विवादों के निर्णय करने का मूल क्षेत्राधिकार है
- **रिट क्षेत्राधिकार:** अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लागू
  - बंदी प्रत्यक्षीकरण
  - परमादेश
  - अधिकार-पृच्छा
  - प्रतिषेध\*
  - उत्प्रेषण\*
- **अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार:**
  - **संवैधानिक मामलों में अपील:** अनुच्छेद 132
  - **सिविल मामलों में अपील:** अनुच्छेद 133
  - **आपराधिक मामलों में अपील:** अनुच्छेद 134
  - **विशेष अनुमति याचिका:** अनुच्छेद 136 (एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है)

## सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143):

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को निम्न रूप में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिये अधिकृत करता है:

- विधि या सार्वजनिक महत्त्व के तथ्य का कोई भी प्रश्न - उठता है या उठने की संभावना है
- संविधान-पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसविदा, वचनबंध या सनद का कोई विवाद

**नोट:** \* इसका तात्पर्य है, कि यह केवल उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये उपयोग की जा सकती है।



Drishiti IAS

//

## सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- **लंबित मामलों की संख्या:** वर्ष 2023 के अंत में सर्वोच्च न्यायालय में 80,439 मामले लंबित थे। ये लंबित मामले न्याय प्रदान करने में पर्याप्त विलंब करते हैं जो न्यायपालिका की दक्षता और विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं।
- **विशेष अनुमत याचिकाओं (SLP) का प्रभुत्व:** सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित मामलों की सूची में सर्वाधिक मामले विशेष अनुमत याचिकाओं (सविल एवं आपराधिक अपीलों के लिये वरीयता साधन) से संबंधित हैं, जो रिट याचिकाओं और संवैधानिक चुनौतियों जैसे अन्य प्रकार के मामलों से



सर्वोपरि हैं।

◦ यह वरीयता न्यायालय की विधि प्रकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

- **मामलों की चयनात्मक वरीयता:** 'पकि एंड चूज़ मॉडल' कुछ मामलों को अन्य मामलों पर प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जिससे **तेज़ी** ही व्यवहार की धारणा बनती है। उदाहरण के लिये अन्य महत्वपूर्ण मामलों की तुलना में एक हाई-प्रोफाइल जमानत आवेदन पर तेज़ी से ध्यान दिया जाना।
- **न्यायिक अपवंचन:** लंबित मामलों के कारण कभी-कभी 'न्यायिक अपवंचन' होती है, जहाँ महत्वपूर्ण मामलों को **टाला जाता है या वलंब** किया जाता है। उल्लेखनीय उदाहरणों में **आधार बायोमेट्रिक ID योजना** चुनौती और **चुनावी बॉण्ड मामले का नरिणय** सुनाने करने में वलंब शामिल है।
- **हितों का टकराव और ईमानदारी:** सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका के भीतर **भ्रष्टाचार** के आरोप इसकी **सत्यनिष्ठा** और सार्वजनिक विश्वास के लिये चुनौतियाँ पेश करते हैं।
  - उदाहरण के लिये संभावित हितों के टकराव की बात तब सामने आई जब **कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्त अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायाधीश के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही समय बाद राजनीति में प्रवेश कर गए।**
- **न्यायाधीशों की नयिकता की चिंताएँ:** न्यायिक नयिकताओं की प्रक्रिया, विशेष रूप से **कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका, विवाद का विषय** रही है।
  - नयिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये **राष्ट्रीय न्यायिक नयिकता आयोग** जैसे सुधारों पर चर्चा हुई है।

## आगे की राह

- **अखलि भारतीय न्यायिक भर्ती:** हाल ही में **राष्ट्रपति** ने अखलि भारतीय स्तर पर न्यायिक भर्ती का आह्वान किया। न्यायिक भर्ती के लिये एक **राष्ट्रीय मानक** स्थापित करने से **राज्यों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है**, जिससे दक्षता में सुधार होता है।
  - ज़िला न्यायालयों में न्यायिक भर्तियों को अब **क्षेत्रवाद** की संकीर्णता जैसी घरेलू बाधाएँ और **राज्य-केंद्री चयनों की सीमाओं** तक सीमित नहीं किया जाना चाहिये।
- **मामला प्रबंधन सुधार:** प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये उन्नत केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये **ई-कोर्ट प्रयोजना** का उद्देश्य न्यायालय संचालन को डिजिटल बनाना और स्वचालित करना है, जो केस बैकलॉग को प्रबंधित करने एवं वलंब को कम करने में मदद कर सकता है।
  - मामलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन को बढ़ाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की **केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS)** के उपयोग का विस्तार करना।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना:** उन मामलों के लिये ADR तंत्र के उपयोग को प्रोत्साहित करना जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996** में उल्लिखित है।
- **पारदर्शी मामला सूचीकरण:** पारदर्शी मामला सूचीकरण और प्राथमिकता प्रोटोकॉल विकसित करें।
  - **सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल** में मामलों की स्थिति और प्राथमिकताओं पर सार्वजनिक रूप से नज़र रखने की सुविधा शामिल की जा सकती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- **संस्थागत लक्ष्यों को स्पष्ट करना:** संस्थागत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उन्हें संप्रेषित करना। **न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन ढाँचे** को न्यायालय के लक्ष्यों का आकलन करने तथा उन्हें पुनः संरेखित करने के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इस फोकस को समर्थन देने में भूमिका निभा सकता है।
- **जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना:** न्यायाधीशों के लिये सख्त जवाबदेही उपायों को लागू करें। उदाहरणतः सरकारी अधिकारियों हेतु **केंद्रीय सतर्कता आयोग** के समान एक स्वतंत्र न्यायिक जवाबदेही आयोग की स्थापना करें।

????????????????????:

**प्रश्न:** लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष के विकास पर चर्चा कीजिये। प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिये?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????:

**प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)**

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

**??????:**

प्रश्न. 'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (2021)

प्रश्न. न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परकिल्पित शक्तिपृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारियों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (2020)

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)